उत्तर प्रदेश शासन,

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

संख्या-109/2023/।/390149/2023/71-2099/263/2021

लखनऊः दिनांक 19 सितम्बर, 2023

शुद्धि पत्र

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ हेतु असाध्य रोगों के नि:शुल्क उपचार हेतु मानक-20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में शासनादेश संख्या-107/2023//।/388356/2023/006-71-2099-263-2021 दिनांक 15.09.2023 निर्गत किया गया है, जिसके प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-2 में निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ त्रुटिवश टंकित हो गया है।

2- अतः उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-2 में टंकित निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ के स्थान पर निदेशक, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ पढ़ा एवं समझा जाए।

3- शासनादेश में वर्णित शेष तथ्य यथावत रहेंगे।

एस0पी0 सिंह
उप सचिव।

उपरोक्त संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
(4) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
(6) वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
(7) वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in